बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

संकल्प

सं0–प्र01 / तेनुकोर्ट केस–01 / 2008(खंड–II) पटना, दिनांक–

विषय:– (क) तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड (TVNL) के स्वामित्व को झारखण्ड सरकार को सौपने

एवं

(ख) उपर्युक्त प्रतिष्ठान में बिहार सरकार एवं तदेन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से निवेशित राशि एवं प्रदत्त ऋण की राशि के बदले TVNL के प्रस्तावित Stage-II से 40 प्रतिशत बिजली बिहार राज्य के उपयोग हेतु प्राप्त करने के प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

बिहार राज्य के बंटवारे एवं झारखण्ड राज्य के गठन से पूर्व तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड (TVNL) का स्वामित्व तदेन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पास था। TVNLकी परिसंपत्तियों पर स्वामित्व का विवाद बिहार एवं झारखण्ड सरकार के बीच जारी है। बिहार सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित SLP(C) No.–17232/2008 तथा SLP(C) No.–17235/2008 में TVNL संपत्ति के स्वामित्व का बचाव किया जा रहा है। इसी क्रम में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–10.10.2017 को निर्गत आदेश में प्रश्नगत् वादों को न्यायालय से बाहर आपसी समझौते (Out of Court Settlement) द्वारा समाधान किये जाने का समय दिया गया है।

2. इस संबंध में ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार ने अपने पत्र दिनांक 17.09.2018 द्वारा ऊर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार को यह प्रस्ताव दिया कि बिहार TVNL के स्वामित्त्व पर अपना दावा वापस ले सकता है और इसके बदले TVNL के मौजूदा एवं भविष्य की विस्तार इकाइयों से भेजे गए Ex Bus ऊर्जा का कम से कम 40 प्रतिशत बिहार को झारखंड राज्य में लागू होने वाली दरों एवं शर्तों पर हीं दिया जायेगा।

3. उपर्युक्त प्रस्ताव के संबंध में ऊर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार अपने पत्र दिनांक 31.12.2018 के माध्यम से अपना मन्तव्य दिया कि विद्यमान विद्युत क्रय समझौतों (PPA) के चलते मौजूदा ईकाईयों से ऊर्जा दे पाना संभव नहीं है, हालांकि भविष्य की विस्तार इकाइयों से भेजे गए Ex Bus ऊर्जा का 40 प्रतिशत बिहार को सक्षम प्राधिकारी/विनियामक आयोग द्वारा तय दर पर ऊर्जा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके अतिरिक्त इस पत्र के कंडिका 3 में यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि बिहार सरकार द्वारा आवंटित उर्जा का क्रय से इनकार करने की स्थिति में ही TVNL उक्त उर्जा किसी अन्य को विक्रय कर सकता है।

4. विदित हो कि बिहार सरकार एवं तदेन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से कुल 1221.71 करोड़ रूपये की राशि का निवेश एवं ऋण के रूप में TVNL को प्रदत्त की गई थी। वर्तमान में BSP(H)CL द्वारा उर्जा का प्रति यूनिट औसत क्रय राशि 4.07 रूपया है। TVNL के पिटहेड पर स्थित होने के कारण इसकी भविष्य की विस्तार ईकाईयों से उत्पादित उर्जा का दर निश्चित रूप से कम होगा। अतः बिहार राज्य को TVNL से सस्ती बिजली मिलेगी।

5. उक्त आलोक में (क) तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड (TVNL) के स्वामित्व को झारखण्ड सरकार को सौपने

एवं

(ख) उपर्युक्त प्रतिष्ठान में बिहार सरकार एवं तदेन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से निवेशित राशि एवं प्रदत्त ऋण की राशि के बदले TVNL के प्रस्तावित Stage-II से 40 प्रतिशत बिजली बिहार राज्य के उपयोग हेतु प्राप्त करने के प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

6. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(प्रत्यय अमृत)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–प्र01/तेनुकोर्ट केस–01/2008(खंड–II) /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना के माध्यम से) प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि संकल्प की 200 (दो सौ) प्रतियॉं विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

ह0/–

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–प्र01/तेनुकोर्ट केस–01/2008(खंड–II) /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–सचिव, ऊर्जा विभाग, झारखंड सरकार, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–प्र01/तेनुकोर्ट केस–01/2008(खंड–II) /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–सचिव(विद्युत), विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, रफी मार्ग, श्रमशक्ति भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–प्र01/तेनुकोर्ट केस–01/2008(खंड–II) /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (लेखा एवं हक), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–प्र01/तेनुकोर्ट केस–01/2008(खंड–II) 602 /पटना, दिनांक–01/03/2019

प्रतिलिपिः–माननीय मुख्यमंत्री, बिहार, पटना के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग, बिहार, पटना/सभी विभागाध्यक्ष, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव/उप सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, नॉर्थ/साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कं0 लि0, पटना/सचिव, तेनुघाट विद्युत निगम लि0/सचिव, बिहार विद्युत विनियामक आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।